संख्या-53/2024/3377/22-2-2023-17(1138)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 03 मई, 2024

विषय:- जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मौ0 ताहिर पुत्र श्री मौ0 रजी, निवासी जनपद-मेरठ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-26788/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-08-08-2023) दिनांक-24.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मौ0 ताहिर पुत्र श्री मौ0 रजी, मो0 शेखान मस्जिद के पास मलियाना, थाना-टी0पी0 नगर जनपद-मेरठ का निवासी है। अवैध सम्बन्ध को लेकर हुये विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 06-07-2002 को अपनी पत्नी रूकसाना के गले में रस्सी बांधकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1122/2002 अन्तर्गत धारा-302 भा0द0वि0 में मा0 सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 26-09-2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 07-09-2021 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। दिनांक 05-06-2023 तक बन्दी की आयु 57 वर्ष है तथा बन्दी द्वारा दिनांक 05-06-2023 तक 15 वर्ष 09 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा सपरिहार 18 वर्ष, 10 माह 02 दिन सजा भोगी गई है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने, वादी व प्रतिवादी पक्ष में अभी भी तनाव होने के कारण शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमति व्यक्त करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि अवैध सम्बन्ध को लेकर हुये विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 06-07-2002 को अपनी पत्नी रूकसाना के गले में रस्सी बांधकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मौ0 ताहिर पुत्र श्री मौ0 रजी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मौ0 ताहिर (बन्दी संख्या-4163/2007) पुत्र श्री मौ0 रजी, निवासी जनपद-मेरठ को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-53/2024/3377(1)/22-2-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (कि0) संख्या-10035/2022 मौ0 ताहिर हुसैन बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 एवं दिनांक 22.03.2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-53/2024/3377/22-2-2023-17(1138)/2023

दिनांक 03 मई, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मौ0 ताहिर पुत्र श्री मौ0 रजी, मो0 शेखान मस्जिद के पास मलियाना, थाना-टी0पी0 नगर जनपद-मेरठ का निवासी है। अवैध सम्बन्ध को लेकर हुये विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 06-07-2002 को अपनी पत्नी रूकसाना के गले में रस्सी बांधकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1122/2002 अन्तर्गत धारा-302 भा0द0वि0 में मा0 सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 26-09-2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 07-09-2021 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। दिनांक 05-06-2023 तक बन्दी की आयु 57 वर्ष है तथा बन्दी द्वारा दिनांक 05-06-2023 तक 15 वर्ष 09 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा सपरिहार 18 वर्ष, 10 माह 02 दिन सजा भोगी गई है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने, वादी व प्रतिवादी पक्ष में अभी भी तनाव होने के कारण शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमति व्यक्त करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि अवैध सम्बन्ध को लेकर हुये विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 06-07-2002 को अपनी पत्नी रूकसाना के गले में रस्सी बांधकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मौ0 ताहिर पुत्र श्री मौ0 रजी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।